



276

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12012 निगरानी — R-3741-PBM12

- १- जमुना बाई बेवा मिश्रीलाल सैन,
  - २- रामबाबू पुत्र मिश्रीलाल सैन,
  - ३- बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल सैन,
  - ४- कैलाश पुत्र मिश्रीलाल सैन,
- निवासीगण ग्राम कर्धा, तेहसील शमशाबाद,  
जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

----- प्राधीगण

बिरुद्ध

- १- लक्ष्मण सिंह पुत्र हॉटेलाल सैन,  
निवासी ग्राम मेहरा, तेहसील वासोदा,  
जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।
- २- साधना बाई पुत्री हॉटेलाल पत्नी महेश सिंह सैन,
- ३- सविता बाई पुत्री हॉटे लाल सैन पत्नी बृजेश कुमार  
हाल निवासीगण बन्टी नगर, सागर पुलिसा,  
विदिशा-मध्यप्रदेश ।
- ४- सरोज बाई पुत्री हॉटेलाल सैन पत्नी मलखानसिंह,  
निवासिन ग्राम बखेडा खेट, तेहसील व जिला  
सिहोर -मध्यप्रदेश ।
- ५- हॉटीबाई पत्नी हॉटेलाल सैन, निवासिन ग्राम-  
मेहरा-तेहसील-वासोदा, जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्राधीगण

निगरानी बिरुद्ध आदेश तेहसीलदार महोदय, शमशाबाद जिला विदिशा  
दिनांकी ३१-८-१२, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९५६,  
प्र०क्र० ८४।ब-२७।०६-०७ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी फर प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्रमशः--२

श्री. अरुण को कब्रिणी धारा  
जाय आज दि. 31-10-12 को  
प्रस्तुत  
फर  
31-10-12  
महार्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अरुण को  
31/10/12


R  
अरुण को

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3741-पीबीआर/12

जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-9-16	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवरथी उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । चूंकि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक हो गई है और इसे चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।</p>	 सदस्य

B  
g/se